

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़  
पीठासीन अधिकारी:- पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 113/2019 प्रार्थना पत्र

भैरूलाल पिता चुन्नीलाल जाट, आयु वयस्क, निवासी पेमदियाखेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा।

- प्रार्थीगण

//बनाम//

1. भंवरलाल मुतबन्ना लालु जाट, आयु वयस्क, निवासी पेमदियाखेड़ा।
  2. वसराज पिता नंदलाल जाट, आयु वयस्क, निवासी पेमदियाखेड़ा।
  3. शोभालाल पिता नंदलाल जाट, आयु वयस्क, निवासी पेमदियाखेड़ा।
  4. बापुलाल पिता नंदलाल जाट, आयु वयस्क, निवासी पेमदियाखेड़ा।
  5. श्रीमती कमला बाई पुत्री नंदलाल जाट, आयु वयस्क, निवासी पेमदियाखेड़ा।
  6. राज. सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौडगढ़।
- विपक्षी



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा. भू राज.अधि.

श्री ऋषभ कुमार सेठीया, अधिवक्ता प्रार्थी, उपस्थित

निर्णय

दिनांक 04.02.2020

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 5 की शामिल की खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा पेमदिया खेड़ा की खाता संख्या 54 की आराजी नं. 286, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342 कुल किता 9 कुल रकबा 6.1700 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 53 की आराजी नं. 350 रकबा 1.5700 हैक्टेयर भूमि स्थित है जो प्रार्थी भंवरलाल मुतबन्ना लालु जाट निवासी पेमदियाखेड़ा व नंदलाल एवं भैरूलाल पिता श्री चुन्नीलाल जाट निवासी पेमदिया खेड़ा के शामिल की खातेदारी की थी। पक्षकारान ने आपसी सहमति से मौखिक विभाजन कर रखा है। न्यायालय की डिक्री अनुसार पृथक पृथक खातेदारी राजस्व रेकार्ड में तो दर्ज हो गई परन्तु खातेदारी हस्ब कब्जा एवं मौखिक विभाजन अनुसार नहीं हुआ तथा राजस्व कर्मचारियों की गलती से कब्जे अनुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नहीं हुआ है। विभाजन होने के बाद नन्दलाल पिता चुन्नीलाल जाट का देहान्त हो गया तथा उनके वारिसान विपक्षी संख्या 2 से 5 का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गया। आराजी नं. 335, 336, 337, 339, 340, 341, 342, 350 एक चक है जिसके पूर्वी ओर आराजी नं. 350 है तथा पश्चिम की ओर आराजी नं. 335 है। इन दोनों नम्बरों के मध्य

उपरोक्त वर्णित आराजीयात की शेष आराजी नं. 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342 स्थित है। उपरोक्त आराजीयात का प्रार्थी एवं विपक्षीगणों के मध्य 1/3, 1/3 हक हिस्से अनुसार विभाजन हुआ है परन्तु मौके पर कब्जे और रकबे का रेकार्ड में अंकित आराजी नम्बर व रकबे में भारी अन्तर है। प्रार्थी ने विपक्षीगण से कब्जे अनुसार संशोधन कराने हेतु कई बार कहा परन्तु विपक्षीगण नहीं मान रहे हैं इसलिए मजबुरन प्रार्थी को यह आवेदन पत्र प्रस्तुत करना पड़ रहा है। अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रश्नगत आराजीयात का मौके पर कब्जे अनुसार इन्द्राज दुरुस्त करवाने का कष्ट करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया। विपक्षीगण मय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा इकबाली जवाब प्रस्तुत किया और प्रार्थी के कथनों को स्वीकार किया। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा ने अपने पत्रांक/टीआरए/718, दिनांक 11.12.2019 के माध्यम से मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिस पर सभी पक्षकारों के सहमति के हस्ताक्षर हैं। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने संशोधन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया है जो मौके पर कब्जे अनुसार सही है तथा सभी पक्षकार सहमत हैं। इससे राजकीय पक्ष भी प्रभावित नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किये जाकर राजस्व रेकार्ड में सहमति अनुसार संशोधन किया जाना न्यायोचित है।

अतः तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रश्नगत भूमि वाके मौजा पेमदिया खेड़ा की खाता संख्या 54 की आराजी नं. 286, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342 कुल किता 9 कुल रकबा 6.1700 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 53 की आराजी नं. 350 रकबा 1.5700 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकार्ड में निम्नानुसार संशोधन के आदेश दिये जाते हैं-

1- भैरूलाल पिता चुन्नीलाल जाट, सा. देह खातेदार के रहेगी। बैंक रहन बदस्तुर रहेगा-

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रुपये में
350	0.2000	3.80
350मी	0.4000	7.60
337	0.2600	6.63
338	0.0600	1.53
340	0.0900	2.30
336	0.3800	9.69
342	0.0800	2.04
342	0.2000	5.10
342	0.0800	2.04
342	0.2400	6.12



342	0.0400	1.02
342	0.0400	1.02

.....  
कुल किता 12 कुल रकबा 2.0700 हैक्टेयर कुल लगान 48.89 रुपये  
.....

2- वसराज, शोभालाल, बापुलाल, कमला बाई पिता नन्दलाल जाट, सा. देह के रहेगी-

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रुपये में
350	0.0500	0.95
350	0.2200	4.18
337	0.1300	3.32
338	0.0100	0.26
336	0.3500	8.92
336	0.2200	5.61
335	0.1600	4.08
286	0.9400	17.86
342	0.4000	10.20
342	0.5200	13.26
342	0.0400	1.02

.....  
कुल किता 11 कुल रकबा 3.0400 हैक्टेयर कुल लगान 69.66 रुपये  
.....

3- भंवरलाल मुतबन्ना लालु जाट, सा. देह खातेदार के रहेगी:-

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रुपये में
350	0.6000	11.40
350	0.1000	1.90
337	0.1300	3.31
338	0.2300	5.87
336	0.3700	9.44
342	0.1800	4.59
342	0.3200	8.16
342	0.1000	2.55
342	0.1200	3.06
342	0.0400	1.02
286	0.9400	17.86

.....  
कुल किता 11 कुल रकबा 3.1300 हैक्टेयर कुल लगान 69.16 रुपये  
.....


4- भंवरलाल मुतबन्ना लालु 1/3, वसराज, शोभालाल, बापुलाल, कमला बाई पिता नन्दलाल 1/3, भैरूलाल पिता चुन्नीलाल 1/3 जाट सा. देह के रहेगा। बैंक रहन सम्बन्धित खातेदार के हिस्से पर रहेगा-

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रूपये में
339	0.0900	गे.मु. चाह
341	0.0100	गे.मु. चाह

.....  
कुल किता 2 कुल रकबा 0.1000 हैक्टेयर  
.....

उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस में प्रदर्शित अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 04.02.2020 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।



(पंकज शर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी  
निम्बाहेड़ा

